न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : उपेन्द्र कुमार शर्मा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 204/22 (वाद)

GCMS No. : 2022/503

1. श्री मुकेश मुतबन्ना स्व. मोहनलाल पालीवाल, ब्राहम्ण निवासी साकरोदा हाल 317 टेकरी पिपली चौराया, उदयपुर तहसील गिर्वा।

.....वादी

बनाम्

1. श्री नानालाल पिता रूपा पालीवाल, ब्राहम्ण निवासी साकरोदा तह. मावली।
2. श्री देवीलाल पिता रूपा पालीवाल, ब्राहम्ण निवासी साकरोदा तह. मावली।
3. श्री महेश पिता स्व. मांगीलाल पालीवाल, ब्राहम्ण निवासी साकरोदा तह. मावली।
4. श्री हितेश पिता स्व. मांगीलाल पालीवाल, ब्राहम्ण निवासी साकरोदा तह. मावली।
5. श्रीमती कृष्णाबाई बेवा स्व. मांगीलाल पालीवाल, ब्राहम्ण निवासी साकरोदा तह. मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री भेरूलाल जाट, अधिवक्ता वादी।

2. श्री राकेश प्रजापत, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 5

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय ::

दिनांक : 06.02.2024

1. पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 जा.दी. का पेश कर दस्तावेज चौपनिये की लिखापढी को रेकार्ड पर लिया जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र शामिल फाईल किया जावें। नकल दिलाई गई। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब नहीं देना चाहकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। हमने उभय पक्षकारान की प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 जा.दी. पर बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से पत्रावली वर्तमान में बहस दावा में नियत हैं। वादी की साक्ष्य दिनांक 05.9 को बन्द की जा चुकी हैं। वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.15 10:23:45 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा मात्र प्रकरण को लम्बा करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। वादी को वक्त साक्ष्य उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए थे परन्तु वादी द्वारा वक्त साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर बहस दावा में दस्तावेज पेश किये। जिससे स्पष्टयता यह जाहिर होता है कि वादी मात्र प्रकरण को लम्बा करना चाह रहा हैं। वादी को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए था। पत्रावली वर्तमान में बहस दावा में नियत होकर अन्तिम स्तर पर हैं। अतः इस स्तर पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 जा.दी. का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

2. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा साकरोदा पटवार हल्का साकरोदा की आराजी नम्बर 1744, 1746, 1754, 1761, 1762, 1763, 1770, 1787, 1794, 1798, 1805, 1806, 1807, 1809, 2357, 2361, 2362, 2369, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377 कुल किता 23 रकबा 17 बीघा 16 बिस्वा। उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में खातेदार मोहनलाल के नाम पर 1/4 हिस्सा, खातेदार मांगीलाल के नाम पर 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर 1/4 हिस्से अंकित हैं। खातेदार मांगीलाल का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी सं. 3 से 5 है। जिनका अन्तकाल खुल चुका हैं। खातेदार मोहनलाल का निधन दिनांक 18.03.2003 को हो चुका है, जिसका वारिस वादी हैं। नकल जमाबन्दी एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति साथ संलग्न हैं।

3. यह कि श्री मोहनलाल जी के कोई सन्तान नहीं होने से मोहनलाल ने उनके जीवनकाल में ही मुझ वादी को सामाजिक रितिरिवाजानुसार गोद ले लिया था तथा गोद जाने के पश्चात् से ही मैं वादी अपने दत्तक पिता के साथ निवास कर उनकी सेवा चाकरी करता आ रहा था। श्री मोहनलाल पिता रूपा जी का स्वर्गवास दिनांक 18.03.2003 को हो चुका हैं।

4. यह कि मैं वादी अपने दत्तक पिता मोहनलाल जी समस्त चल व अचल सम्पति पर बहैसियत पुत्र काबिज होकर निरन्तर निर्बाध रूप से उनके जीवनकाल से काबिज हूं तथा काश्त करता आ रहा हूं। मुझ वादी ने अपने दत्तक पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.15 10:23:45 IST
Reason: SelfAttested

के मरणोपरान्त उनके समस्त सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वह्न करता आ रहा हूं।

5. यह कि स्वर्गीय मोहनलाल जी द्वारा मुझ वादी को सामाजिक रितिरिवाजानुसार समाज, परिवार एवं रिश्तेदारों की मौजूदगी में गोद लिया है, मुझ वादी के लेहरिया बंधवाया और गुड धनिया बंटवाया गया। जिसमें मैं वादी स्व. मोहनलाल जी का दत्तक पुत्री हूं और उनकी समस्त जायदाद पर भी मैं वादी दत्तक पुत्र होने से अकेला ही काबिज हो उपयोग उपभोग करता आ रहा हूं। इसलिए मैं वादी वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि में अपने दत्तक पिता श्री मोहनलाल के नाम पर दर्ज 1/4 हक हिस्सा भूमि को अपने नाम पर खातेदारी हक की घोषित करा राजस्व रेकार्ड में अपने नाम पर अंकित कराने का अधिकारी हूं।

6. यह कि वाद में वर्णित आराजीयात में मेरे दत्तक पिता श्री मोहनलाल जी के नाम दर्ज हिस्सा को मैं वादी दिनांक 26.06.2015 को अपने नाम पर अंकित कराने हेतु पटवारी हल्का के पास गया तो पटवारी हल्का ने उक्त भूम मेरे नाम पर अंकित करने से मना कर दिया और कहा कि सक्षम न्यायालय में दावा करों और आदेश लाओ तभी तुम्हारे नाम पर अंकित होगी। इसलिए उक्त भूमि को मुझ वादी के नाम पर खातेदारी हक की घोषित कराने हेतु उक्त वाद पत्र आप न्यायालय में पेश हैं।

7. यह कि मुझ वादी का प्रथम दृष्टया मामला है क्योंकि मैं वादी स्वर्गीय श्री मोहनलाल जी का एकमात्र दत्तक पुत्र हुं तथा इनकी सेवा चाकरी भी मुझ वादी ने ही की है तथा इनके स्वर्गवास के पश्चात् समस्त सामाजिक क्रियाकर्म भी मुझ वादी ने ही पुत्र की हैसियत से किये है तथा आज भी इनके सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वह्न कर रहा हूं मैं वादी स्व. मोहनलाल जी के जीवनकाल से ही उनकी सम्पूर्ण चल अचल सम्पति पर बहैसियत पुत्र काबिज हो निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा हूं। सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी मुझ वादी के पक्ष में हैं। उक्त भूमि पर अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व अधिकार कब्जा कुछ भी नहीं रहा हैं।

8. यह कि वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद कारण दिनांक 26.06.2015 को उत्पन्न हुआ जब पटवारी हल्का को ... नाम पर दर्ज करने हेतु कहा तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.15 10:23:45 IST
Reason: SelfAttested

पटवारी हल्का ने भूमि मेरे नाम पर दर्ज करने से मना कर कोर्ट में दावा करने हेतु कहा तब उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

9. अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वाद में वर्णित आराजीयात में खातेदार मोहनलाल पिता रूपा ब्राहम्ण के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि का मुझ वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इसी अनुसार मुझ वादी का नाम राजस्व रेकार्ड खेवट खतौनी जमाबन्दी में अंकन कराया जावें एवं खातेदार मोहनलाल का नाम हटाया जावें।

10. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब पेश कर राजस्व ग्राम साकरोदा पटवार हलका साकरोदा की आराजी नम्बर 1744, 1746, 1754, 1761, 1762, 1763, 1770, 1787, 1794, 1798, 1805, 1806, 1807, 1809, 2357, 2361, 2362, 2369, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377 किता 23 रकबा 17 बीघा 16 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में खातेदार मोहन लाल के नाम पर 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम पर 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 के नाम पर 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 के नाम पर 1/16 हिस्सा एवं वादी मुकेश पिता मांगीलाल के नाम पर 1/16 हिस्सा दर्ज हैं।

11. यह कि श्री मोहनलाल जी के कोई सन्तान नहीं होने से मोहनलाल ने उनके जीवनकाल में ही वादी को सामाजिक रितिरिवाजानुसार गोद ले लिया था तथा गोद जाने के पश्चात् से ही वादी अपने दत्तक पिता के साथ निवास कर उनकी सेवा चाकरी करता आ रहा था। श्री मोहनलाल पिता रूपा जी का स्वर्गवास दिनांक 18.03.2003 को हो चुका हैं।

12. यह कि वादी अपने दत्तक पिता मोहनलाल जी की समस्त चल व अचल सम्पति पर बहैसियत पुत्र काबिज हो निरन्तर निर्बाध रूप से उनके जीवनकाल से काबिज है तथा काश्त करता आ [illegible] तथा वादी ने अपने दत्तक पिता के मरणोपरान्त उनके समस्त सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वह्न करता आ रहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.15 10:23:45 IST
Reason: SelfAttested

है। इसलिए वादी शपथ पत्र में वर्णित कृषि भूमि में अपने दत्तक पिता मोहनलाल जी के नाम दर्ज 1/4 हक हिस्सा भूमि को अपने नाम पर खातेदारी हक की घोषित करा राजस्व रेकार्ड में अपने नाम पर अंकित कराने का अधिकारी हैं।

13. यह कि वर्तमान में वादी के नाम पर 1/16 हिस्स है जो महेश, हितेश पिता मांगीलाल जी एवं कृष्णाबाई बेवा मांगीलाल जी के नाम पर कर दी जावें एवं वादी के नाम पर मोहनलाल पिता रूपलाल का हिस्सा कर दिया जावे तो हमे कोई उजर ऐतराज नहीं हैं।

14. वादी द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री मुकेश का पेश किया। वादी द्वारा दस्तावेज नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1 पेश की।

15. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई। विद्धान अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्धान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 5 द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं वादी का वाद स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नही की।

16. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्धान अधिवक्ता उभय पक्षकारान् की बहस पर बगौर मनन किया। वादग्रस्त भूमि को वादी द्वारा गोद पुत्र की हैसियत से स्व. मोहनलाल जी के नाम दर्ज 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने का निवेदन किया है। हमारे द्वारा वादपत्र के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि पूर्व में मोहनलाल मांगीलाल नानालाल देवीलाल पिता रूपा ब्राहम्ण के नाम हिस्सेनुसार दर्ज थी। तत्पश्चात् मांगीलाल पिता रूपा के स्वर्गवास के पश्चात् मांगीलाल के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा विरासत से वादी मुकेश, प्रतिवादी सं. 3 महेश, प्रतिवादी सं. 4 हितेश, प्रतिवादी संख्या 5 कृष्णादेवी के नाम पर हिस्सेनुसार दर्ज हुई। वादपत्र के अवलोकन से वादी द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि वादी स्वर्गीय मोहनलाल जी के गोद गया हो एवं वादी ही एकमात्र स्वर्गीय मोहनलाल का वारिस हो। वादी को अपने वाद के समर्थन में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, पेन कार्ड, इत्यादि दस्तावेज पेश करने चाहिए थे जिससे वादी [illegible] मोहनलाल होने की पुष्टि की जा सके। अतः वादी अपने दस्तावेजों के [illegible] से गोद पुत्र होने के तथ्य को

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.15 10:23:45 IST
Reason: SelfAttested

साबित कराने में असफल रहा हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2024 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(उपेन्द्र कुमार शर्मा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.15 10:23:45 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास उपेन्द्र कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री मुकेश मुतबन्ना स्व. मोहनलाल पालीवाल, ब्राहम्ण निवासी साकरोदा हाल 317 टेकरी पिपली चौराया, उदयपुर तहसील गिर्वा।

.....वादी

बनाम्

1. श्री नानालाल पिता रूपा पालीवाल, ब्राहम्ण निवासी साकरोदा तह. मावली।
2. श्री देवीलाल पिता रूपा पालीवाल, ब्राहम्ण निवासी साकरोदा तह. मावली।
3. श्री महेश पिता स्व. मांगीलाल पालीवाल, ब्राहम्ण निवासी साकरोदा तह. मावली।
4. श्री हितेश पिता स्व. मांगीलाल पालीवाल, ब्राहम्ण निवासी साकरोदा तह. मावली।
5. श्रीमती कृष्णाबाई बेवा स्व. मांगीलाल पालीवाल, ब्राहम्ण निवासी साकरोदा तह. मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 204/22 (वाद) GCMS No. : 2022/503

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु उपेन्द्र कुमार शर्मा R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 06.02.2024 को जारी की गई।

(उपेन्द्र कुमार शर्मा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.15 10:23:45 IST
Reason: SelfAttested